जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्रीमती प्रिति राठौड पत्नी श्री जसवन्त सिंह राठौड गुलाब बाडी भवन निर्माण सहकारी समिति लि. योजना वर्धमान नगर-बी	**पुराना 46 नया 390**	**283.33**
2.	श्री घनश्याम मुदगल पुत्र श्री हरिनारायण मुदगल नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना तिरूपति विहार	**61**	**272.22**
3.	श्री राम रतन कलवार पुत्र श्री हंगामी लाल कलवार दी शिवा कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	**ई-1**	**232.10**
4.	श्री मनोहर लाल सैनी पुत्र श्री राम सहाय सैनी दी शिवा कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	**ए-51**	**350.00**
5.	श्रीमती प्रेम देवी सैनी पत्नी श्री मनोहर लाल सैनी दी शिवा कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	**ए-52**	**311.11**
6.	श्री मुकेश चौधरी पुत्र श्री राम लाल चौधरी मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भूराजी विहार	**296**	**311.11**
7.	श्रीमती शान्ति पत्नी स्व. श्री पोखरमल संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना गोपालपुरा बाईपास	**39**	**149.88**
8.	श्री घनश्याम मुदगल पुत्र श्री हरिनारायण मुदगल नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना तिरूपति विहार	**61**	**272.22**
9.	श्री अनिल सैनी पत्नी श्री लालाराम सैनी मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना श्री श्याम विहार-बी	**81**	**350.00**

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक **14.03.22** के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि आॅन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण किया जा सके।

PRO/R-135
18/4/22

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 71
दिनांक 12/04/2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः जविप्रा/उपा/पी.आर.एन.(दक्षिण–प्रथम) 2022/डी–716 दिनांकः 12/04/2022

विज्ञप्ति

गुलाबबाडी भवन नि.लि.स.स की योजना राठी नगर के नियमन / भू- आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर . (दक्षिण–प्रथम).जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है।जो नाम हस्तान्तरण /प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। यदि इस सम्बन्ध मे किसी व्यक्ति / सस्था को आपत्ती हो तो 7 दिवस मे कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तानान्तरण/ प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क.सं	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखंण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	श्रीमती अंजीलि पाटनी पत्नी पवन कुमार पाटनी गुलाबबाडी भवन निमार्ण सहकारी समिति लि. की योजना राठी नगर	137	282.45 व.ग
2	जगदीश प्रसाद पुत्र रामदेव अटोलिया दी सांगानेर को.हाउसिंह को सो.लि की योजना गंगा विहार	204 (नार्थ पार्ट)	75.72 व.ग
3	जितेन्द पाल गंग पुत्र आत्मराम गंग दी सांगानेर को.हाउसिंह को सो.लि की योजना गंगा विहार	108	250

उपायुक्त
जोन–पी.आर.एन.(दक्षिण– प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः –

1. विशेषाधिकारी .(जन – सम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को आज दिनांक .... को निर्घारित रोस्टर के अनुसार ....सामाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाये।उक्तविज्ञप्ति का प्रकाशन निर्घारित 8 फोन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावे

नोट – विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फोन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावे । उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी ।

उपायुक्त
जोन–पी.आर.एन.(दक्षिण– प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-134
18/4/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक–जविप्रा/उपा/पीआरएन–उत्तर(द्वितीय)/2022/डी– 373 दिनांक– 8/4/22

–:सार्वजनिक सूचना:–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है:–

क्र. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री भगवानाराम (श्री लक्ष्मी गृ0नि0स0स0लि0की योजना–श्री जगदीशपुरी)	31	187.60
2	श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री भगवानाराम (श्री लक्ष्मी गृ0नि0स0स0लि0की योजना–श्री जगदीशपुरी)	32	128.30
3	श्री राधेश्याम वर्मा पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण (अपोलो नगर हा0को0आप0सो0 लि0की योजना–हीरा नगर–ए)	361	294.62
4	श्रीमती कोमल शर्मा पत्नी श्री हिमांशु एवं पुत्री श्रीपाल सिंह (मित्र गृ0नि0स0स0लि0की योजना–राष्ट्रिय नगर)	पुराना–35, नया–36	100
5	श्री बोदूराम शर्मा एवं श्री कालूराम शर्मा पुत्रान श्री देवकरण शर्मा (अपोलो नगर हा0को0आप0सो0 लि0की योजना–जगदम्बा नगर–डी)	डी–205	182.38

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 पॉइन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
2. उक्त पत्रावलियां में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 778 दिनांक 18/4/22

विज्ञप्ति

श्रीमती आशा गोयल पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द गोयल द्वारा सुभाष नगर योजना के भूखण्ड संख्या बी–22 का नाम हस्तान्तरण मृत्यु प्रमाण–पत्र, वसीयतनामा, स्वघोषणा पत्र के आधार पर करने हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड की लीज डीड जविप्रा द्वारा श्री कैलाश चन्द्र गोयल के पक्ष में जारी की गई थी। लीजधारक की मृत्यु दिनांक 19.01.2021 को हो चुकी है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदिक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदिका के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-149
19.4.22

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन–4/2022/डी– 751 दिनांक 18-04-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजत् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांकः से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	2	हथरोई गढ़ी	मिलाप नगर	1.ओम प्रकाश जैन 2.अनिल कुमार 3.अशोक कुमार छाबड़ा पुत्रान मनोहर लाल जैन	मनोहर लाल जैन	आवंटन पत्र दिः 08.03.1981/मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिः 02.05.2021 उमराव देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिः 05.09.2011 सजरा शपथ पत्र सजरा रिपोर्ट स्थानीय पार्षद दिः 06.02.2022 रजिस्टर हकत्याग दिः 18.02.2022
2	सी–51	सिन्धु नगर कॉ–ऑपरेटिव लि. हाउसिंग सोसायटी	छत्रसाल नगर	1.श्रीमती राज शर्मा पत्नी स्व. श्री सुदर्शन कुमार शर्मा	मूल आवंटी सोनी देवी पत्नी श्री उमराव सिंह यादव	अपंजीकृत इकरारनामा दिः 20.12.2003 एवं 26.05.2004 आदि प्रस्तुत किये हैं।

PRO/R-154 19/4/22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त (जोन–4)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 711 दिनांकः– 18/4/2022

आम–सूचना

भैरव गृ0नि0स0स0 की योजना रिद्धी सिद्धी नगर के भूखण्ड संख्या 123 की लीजडीड हेतु श्री सोहन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह द्वारा पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

सहकारी समिति द्वारा उक्त भूखण्ड सं. 123 का आवंटन पत्र दिनांक 25.05.2000 को श्री सोहन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह के नाम जारी किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि उक्त दस्तावेजात के आधार पर उक्त भू. सं. 123 की लीजडीड श्री सोहन सिंह के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदकों के पक्ष में पटटा जारी कर दिया जावेंगा।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपीः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा,जयपुर

PRO/R-158
19.4.2022

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स– 0141–2569696 एक्सटेंशन : 8260, फैक्स +91–141–257455
e-mail: dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 724 दिनांक 18/4/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया श्रीमती विध्या देवी पत्नी श्री रामरख जयपाल ने हीरा नगर–ए के भूखण्ड संख्या 56 के पट्टे हेतु आवेदन किया है। इस हेतु प्रार्थीया द्वारा सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि प्रस्तुत किये गये है।

अतः दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्ड संख्या 56 का पट्टा / लीजडीड प्रार्थीया के पक्ष में जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

-Sd-
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-156
19.4.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 725 दिनांक: 18/4/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नवजीत सिंह शेखावत एवं श्री अभीजीत सिंह शेखावत पुत्रान् श्री सूरज सिंह शेखावत द्वारा संयुक्त नाम से योजना–टैगोर नगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या–61 का पट्टा/लीजडीड अपने पक्ष में जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन संख्या 71403 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का पट्टा/लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, रजिस्टर्ड शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर भूखण्ड संख्या–61 योजना–टैगोर नगर, जयपुर का पट्टा आवेदकगण के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 15 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन –7
विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

PRO/R-157
19/4/22

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 715 दिनांक 18/4/2022

प्रस्तावित उपान्तरण

प्रार्थिया श्रीमती सूरज कँवर पत्नी श्री पृथ्वी सिंह चौहान छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना राठौड़ नगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 155 क्षेत्रफल 299.44 वर्गगज का पट्टाविलेख क्रमांकः डी– 1023 दिनांक 05.02.2007 जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम– 2021 के बिन्दु संख्या – 2 के उपबिन्दु संख्या iv के क्रम में भू– उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/ जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के पूर्व की ओर– भूखण्ड संख्या 156, पश्चिम की ओर – भूखण्ड संख्या 154, उत्तर की ओर– रोड़ 80 फीट तथा दक्षिण की ओर– भूखण्ड संख्या 129 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू– उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक ....18-4-2022.... को जारी की गई।

Sd/-
उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

PRO/R-142 18/4/22

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 714 दिनांक 18/4/2022

प्रस्तावित उपान्तरण

प्रार्थिया श्रीमती सूरज कँवर पत्नी श्री पृथ्वी सिंह चौहान छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना राठौड़ नगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 154 क्षेत्रफल 299.44 वर्गगज का पट्टाविलेख क्रमांकः डी– 1022 दिनांक 05.02.2007 जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम– 2021 के बिन्दु संख्या – 2 के उपबिन्दु संख्या iv के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान / जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के पूर्व की ओर– भूखण्ड संख्या 155, पश्चिम की ओर – भूखण्ड़ संख्या 153, उत्तर की ओर– रोड़ 80 फीट तथा दक्षिण की ओर– भूखण्ड संख्या 130 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू– उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 18-4-2022 को जारी की गई।

-Sd-
उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-141
18/4/22

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 711 दिनांकः– 18/4/2022

आम–सूचना

भैरव गृ0नि0स0स0 की योजना रिद्धी सिद्धी नगर के भूखण्ड संख्या 123 की लीजडीड हेतु श्री सोहन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह द्वारा पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

सहकारी समिति द्वारा उक्त भूखण्ड सं. 123 का आवंटन पत्र दिनांक 25.05.2000 को श्री सोहन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह के नाम जारी किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि उक्त दस्तावेजात के आधार पर उक्त भू. सं. 123 की लीजडीड श्री सोहन सिंह के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदकों के पक्ष में पटटा जारी कर दिया जावेंगा।

Sd/
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपीः–

1. ~~सूचना एवं~~ जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-139
18/4/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स– 0141–2569696 एक्सटेंशन : 8260, फैक्स +91–141–257455
e-mail: dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा. जोन–08/2022/डी– 884 दिनांक 18/4/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	डी–19	वर्धमान सरोवर डी	दौलत रायसिंघानी पुत्र श्री किशनचन्द रायसिंघानी	मनोज अडवानी पुत्र श्री वासुदेव अडवानी	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा
2.	डी–60	वास्तु नगर फेज–3, खुशी एनक्लेव	श्वेता अग्रवाल पुत्री श्री रघुनाथ अग्रवाल	राकेश कौशल पुत्र श्री किशन चन्द कौशल	मूल दस्तावेजात खो जाने तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति
3.	डी–61	वास्तु नगर फेज–3, खुशी एनक्लेव	श्वेता अग्रवाल पुत्री श्री रघुनाथ अग्रवाल	राकेश कौशल पुत्र श्री किशन चन्द कौशल	मूल दस्तावेजात खो जाने तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति
4.	73	शताब्दी नगर	रामफूल गुर्जर पुत्र श्री नारायण गुर्जर	श्रीमती लछमा देवी गुर्जर पत्नी श्री नारायण गुर्जर	अनरजिस्टर्ड वसीयत

उपायुक्त, जोन–8

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PRO/R-153 19.4.22

उपायुक्त, जोन–8

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 2399 दिनांक :– 18-4-2022

विज्ञप्ति

प्रार्थी कालूराम पुत्र रामफूल हि. 1/16, छोटूराम पुत्र बिरदा हि. 1/6, जगदीश नारायण पुत्र किशन हि. 1/8, जनक देवी पत्नी रामफूल हि. 1/16, नारायण पुत्र जमन्या हि. 1/8, प्रभू पुत्र जमन्या हि. 1/8, मोहन लाल पुत्र बिरदा हि. 1/6, लल्लूलाल पुत्र बिरदा हि. 1/6 निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर है खातेदार नारायण पुत्र जमन्या हि. 1/8 की मृत्यु दिनांक 08.03.21 को हो चुकी है तत्पश्चात उनके वारिसान श्री भौरीलाल रैगर, कालूराम रैगर, नरसी लाल, शंकर लाल रैगर पुत्रान स्व. श्री नारायण रैगर द्वारा अपंजीकृत वसीयत एवं गवाह के शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र आदि दस्तावेज सरपंच दांतली द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र, समर्पणनामा आदि प्रस्तुत किये गये है। उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 131/518 रकबा 0.11 हैक्टे. खसरा नम्बर 132 रकबा 0.13 हैक्टे. एवं खसरा नम्बर 133 रकबा 0.29 हैक्टे. कुल किता 3 रकबा 0.53 हैक्टे. अर्थात् 5300 वर्ग मीटर भूमि मे स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना **"शिव विहार"** के आवंटियों को पट्टे जारी करने का निवेदन किया गया है। विकासकर्ता द्वारा योजना का रेरा पंजीकरण करवा लिया गया है – रेरा पंजीयन क्रमांक RAJ/P/2022/1846 दर्ज है। योजना के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि योजना की अनुमोदन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जविप्रा द्वारा पट्टे जारी किये जाने है। आवंटी वांछित दस्तावेजात एवं नियमानुसार आवेदन कर **दिनांक 20.04.2022** से पट्टा प्राप्त कर सकते है।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना "शिव विहार" का दिनांक 20.04.2022 को कैम्प प्रस्तावित किया गया है। अतः नागरिक सेवा केन्द्र मे उक्त योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों को प्राप्त कर उसी दिन जोन मे प्रेषित करने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें ताकि कैम्प दिवस को आवंटियों को लीजडीड जारी की कार्यवाही की जा सकें।
3. कालूराम पुत्र रामफूल, छोटूराम पुत्र बिरदा, जगदीश नारायण पुत्र किशन, जनक देवी पत्नी रामफूल, नारायण पुत्र जमन्या, प्रभू पुत्र जमन्या, मोहन लाल पुत्र बिरदा, लल्लूलाल पुत्र बिरदा वारिसान श्री भौरीलाल रैगर, कालूराम रैगर, नरसी लाल, शंकर लाल रैगर पुत्रान श्री नारायण रैगर निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

PRO/R-140
18/4/22

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– ( )/जविप्रा/उपा./जोन–11/2021/डी– 1158 दिनांक 19/4/22

सार्वजनिक सूचना

निजी खातेदारी की आवासीय योजना **"दा प्लेटिनम एवं दा प्लेटिनम सिटी"** का अनुमोदन के पश्चात् नियमन शिविर आयोजित किये जाने हेतु कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	आयोजित कैम्प दिनांक	आयोजित कैम्प स्थल	खातेदार का नाम	योजना का रेरा रजि. नं.	ग्राम/तहसील	योजना का नाम
1	21.04.2022	जविप्रा, परिसर	**वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द जैन पंजीकृत कार्यालय 22, मोनिका विहार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर।**	RAJ/P/2022/1912	किशोरपुरा तह. सांगानेर	**"दा प्लेटिनम"**
2	21.04.2022	जविप्रा, परिसर	**वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द जैन पंजीकृत कार्यालय 22, मोनिका विहार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर।**	RAJ/P/2022/1905	तेजावाला तह. सांगानेर	**"दा प्लेटिनम सिटी"**

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
2. वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द जैन पंजीकृत कार्यालय 22, मोनिका विहार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-160
19.4.22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलाल नेहरूमार्ग, जयपुर–302 004
दूरभाष– +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स– +91–141–2569696 एक्सटे.: 7402 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः (मुहाना आईडी–123)जविप्रा/जोन–11/2022/डी–1105 दिनांकः 12/4/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री मंगतूलाल महमवाल, श्रीमती अमिता महमवाल पत्नी स्व. श्री मनमोहन महमवाल, श्रीमती नेहा दत्त पुत्री स्व. श्री मनमोहन एवं श्री मोहित महमवाल पुत्र स्व. श्री मनमोहन महमवाल द्वारा आवंटी श्री मनमोहन महमवाल के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर रिंग रोड़ परियोजना ग्राम मुहाना के निम्न भूखण्ड़ों पर नाम प्रतिस्थापन किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया हैः–

क.सं.	भूखण्ड़ सं.	क्षेत्रफल
1	11/ओई/275	12.50 वर्गमीटर
2	11/ओसी/68	1250 वर्गमीटर
3	11/ओसी/69	1250 वर्गमीटर
4	11/ओसी/51	627 वर्गमीटर
5	11/ओसी/52	627 वर्गमीटर
6	11/ओसी/53	627 वर्गमीटर
7	11/ओसी/54	627 वर्गमीटर

उपरोक्त वर्णित भूखण्ड़ों का आवंटन पत्र जोन के पत्र क्रमांक डी–365 दिनांक 23.10.2012 को श्री सागरमल मेहता पुत्र श्री अमीरमल मेहता, श्री रणवीर सिंह, श्री अनिल पुत्र श्री सागरमल मेहता, श्री मनमोहन महमवाल पुत्र श्री मंगतूलाल महमवाल, श्रीमती सीमा कास्टिया पत्नी श्री प्रदीप कास्टिया एवं श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचंद के पक्ष में जारी किया गया था। उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु नगर निगम, जयपुर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार श्री मनमोहन महमवाल पुत्र श्री मंगतूलाल महमवाल की मृत्यु दिनांक 27.05.2012 को हो चुकी है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूखण्ड़ों पर स्व. श्री महमोहन महमवाल के हिस्से पर नाम प्रतिस्थापन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को जोन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि पश्चात् प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी।

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 12/4/22 मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन जविप्रा, जयपुर के स्तर से राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री मंगतूलाल महमवाल, श्रीमती अमिता महमवाल पत्नी स्व. श्री मनमोहन महमवाल, श्रीमती नेहा दत्त पुत्री स्व. श्री मनमोहन एवं श्री मोहित महमवाल पुत्र स्व. श्री मनमोहन महमवाल, निवासी–53/286, एसबी–36, भवानी सिंह रोड़, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–11,
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-133
18/4/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलाल नेहरूमार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष– +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स– +91–141–2569696 एक्सटे.: 7402 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा/जोन–11/2020/डी -1125 दिनांक 13/4/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सुयश अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना "श्री कृष्णा विहार–I" के भूखण्ड संख्या–25 क्षेत्रफल 138.88 व.ग. का नाम हस्तानान्तरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड संख्या 25 की लीजडीड क्रमांक 868 दिनांक 7.12.12 को श्रीमती संतोष सैनी पत्नी श्री लालचन्द सैनी को जारी किया गया है श्रीमती संतोष सैनी द्वारा उक्त भूखण्ड का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2013 के माध्यम से श्रीमती शांति देवी अग्रवाल पत्नी श्री रामदयाल अग्रवाल को बेचान कर दिया गया। श्रीमती शांति देवी अग्रवाल पत्नी श्री रामदयाल अग्रवाल कि मृत्यु दिनांक 24.4.2021 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हो गई है स्व. शांति देवी अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड के लिये रजिस्टर्ड वसीयत अपने पौत्र सुयश अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल के पक्ष में किया गया है।

उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण प्रार्थी सुयश अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने से किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

PRO/R-132
18/4/22

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम13(2)देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

क्रमांकः– 2289 **दिनांकः–** 19-04-2022

लोक सूचना

अद्योहस्ताक्षरी को जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरित होने के कारण मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना राधा स्वामी नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृर्षि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क(5) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 क धारा 91 सपठित धारा 90 ए(5) एवं राजस्थान अभिदृति अधिनियम की धारा 63(II) और तद्धीन बनाये गऐ नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क धारा 91 सपठित धारा 90 ए(5) एव सपठित राजस्थान अभिवृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें:–

ग्राम का नाम मय तहसील	साल खसरा नं.	रकबा	स्वामित्व
श्री रामकीनांगल तहसील सांगानेर	106	0.45	भौरीलाल पुत्र नानगा हि. 1/4 रूकमा पत्नी स्व. नानगा हि. 1/4 रामधन पुत्र नानगा हि. 1/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र नानगा हि. 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार
	112	0.36	
	113	0.11	
	114	0.25	
	120	0.18	
	121	0.01	
	122	0.19	
	123	0.08	
	123/1181	0.03	
	134	0.54	
	135	0.35	
	104/1189	0.03	जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग आवासन एवं स्वायत्व शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021/मु.मु. ज्ञा जयपुर दिनांक 28. 02.2021 के बिन्दु संख्या के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष के विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं. 322 पार्किंग भवन तृतीय तल जविप्रा स्थित न्यायालय के कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनीं आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पूर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 18/4/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया है।

✓जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा

उपायुक्त (जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त जोन–14
जविप्रा, जयपुर

PRO R-159
19.4.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा / पी.आर.एन.(दक्षिण–प्रथम) 2022 / डी– 718 दिनांकः 13-04-2022

विज्ञप्ति

अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना एस.बी.बी.जे. ऑफीर्स कॉलोनी व दी सांगानेर को.हाउसिंह को सो.लि की योजना गंगा विहार के नियमन / भू- आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर .(दक्षिण–प्रथम).जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है।जो नाम हस्तान्तरण /प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। यदि इस सम्बन्ध मे किसी व्यक्ति / सस्था को आपत्ती हो तो 7 दिवस मे कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तानान्तरण/ प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र. सं	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखंण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	श्रीमती कविता सांखला पत्नी संजय सांखला अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना एस.बी.बी.जे. ऑफीर्स कॉलोनी	72	555.55 व.ग
2	श्री रामेश्वर अटोलिया पुत्र श्री रामदेव अटोलिया दी सांगानेर को.हाउसिंह को सो.लि की योजना गंगा विहार	204 (साउथ पार्ट 018)	74.63

उपायुक्त
जोन–पी.आर.एन.(दक्षिण– प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः –

1. विशेषाधिकारी .(जन – सम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को आज दिनांक .... को निर्धारित रोस्टर के अनुसार ....सामाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाये।उक्तविज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित 8 फोन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावे

नोट – विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फोन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावे । उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी ।

उपायुक्त
जोन–पी.आर.एन.(दक्षिण– प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-136
18/4/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 748 दिनांक 13-04-2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

श्री प्रकाश चन्द कर्नावट पुत्र श्री भाग चन्द कर्नावट को जयपुर इण्डस्ट्रियल एस्टेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना आदिनाथ नगर के भूखण्ड सख्या एस–5 क्षेत्रफल 477.95 वर्गगज का आवासीय पटटा जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के बिन्दु संख्या–2 के उपबिन्दु संख्या–चतुर्थ के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान / जोनल प्लान में दर्शित व्यवसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर में भूखण्ड संख्या एस–6 दक्षिण दिशा 40फीट रोड, पूर्व दिशा की ओर 80 फीट रोड की भूमि एवं पश्चिम दिशा की ओर प्लॉट नं. एस–46 की भूमि है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझााव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहे।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13-04-2022 को जारी की गई।

सचिव, 13/4/22
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101656 दिनांक: 13/04/2022

लोक सूचना

श्री **KAMLESH KUMAR MEENA** पुत्र श्री **BABU LAL MEENA** जाति **MEENA** निवासी **VILLAGE AND POST SHIVDASPURA, CHAKSU, JAIPUR**

श्री **RAMESH CHAND MEENA** पुत्र श्री **GOPAL LAL MEENA** जाति **MEENA** निवासी **VILLAGE AND POST SHIVDASPURA, CHAKSU, JAIPUR**

श्रीमति **KALLI DEVI** पुत्र श्री **RUPNARAYAN** जाति **MEENA** निवासी **VILLAGE AND POST SHIVDASPURA, CHAKSU, JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	KAMLESH KUMAR MEENA AND RAMESH CHAND MEENA	1208	10200	1.02
2.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	KAMLESH KUMAR MEENA AND RAMESH CHAND MEENA	1209/2170	800	0.08
3.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	KAMLESH KUMAR MEENA	1242/2	2400	0.24
4.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	KALLI DEVI	2185/781	1300	0.13
5.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	KALLI DEVI	2196/779	1300	0.13
6.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	KALLI DEVI	780	2500	0.25
				कुल	**1.85**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2021-22/101695 D-703 दिनांकः 13/04/2022

लोक सूचना

श्रीमति **ASHA SAMARIYA** पत्नी श्री **VED PRAKASH SAMARIYA** जाति **MAHAJAN** निवासी **338 RANI SATI NAGAR, JANPATH, AJMER ROAD, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (RAJ)**

श्री **KRISHNA PRAKASH KHANDELWAL** पुत्र श्री **OM PRAKASH KHANDELWAL** जाति **MAHAJAN** निवासी **897 BABA HARISHCHAND MARG, CHANDPOLE, JAIPUR (RAJ.)**

श्री **RAJENDAR KUMAR GARG** पुत्र श्री **MOOLCHAND GARG** जाति **MAHAJAN** निवासी **35, SAKET NAGAR, NEW SANGANER ROAD, JAIPUR (RAJ.)**
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA, KRISHNA PRAKASH KHANDELWAL, RAJENDRA GARG	204/18	1020	0.102
2.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA, KRISHNA PRAKASH KHANDELWAL, RAJENDRA GARG	206/17	1422	0.1422
3.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA, KRISHNA PRAKASH KHANDELWAL, RAJENDRA GARG	212/22	875	0.0875
4.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA, KRISHNA PRAKASH KHANDELWAL, RAJENDRA GARG	23/2	885	0.0885
				कुल	**0.4202**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-04-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन–07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त (जोन–7)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2021-22/101696 D-704 दिनांकः 13/04/2022

लोक सूचना

श्रीमति **ASHA SAMARIYA** पत्नी श्री **VED PRAKASH SAMARIYA** जाति **MAHAJAN** निवासी **338 RANI SATI NAGAR, JANPATH, AJMER ROAD, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (RAJ)** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वा.ज्यि** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA	203/18	217	0.0217
2.	लालपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA	208/19	1225	0.1225
3.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA	21	1012	0.1012
4.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA	210/20	323	0.0323
5.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASHA SAMARIYA	211/22	516	0.0516
				कुल	**0.3293**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-04-2022** को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी जोन–07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. **जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।**
2. **सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।**

उपायुक्त (जोन–7)